पंचायती राज विभाग

क्र0 सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएं	योजना/कार्यक्रम सेवाएं के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
1	14 वें केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन	**ग्राम पंचायत स्तर पर** 1. सोलर स्ट्रीट लाईट। 2. खेल के मैदान/ उद्यानों खुला जिम की व्यवस्था 3. आँगनबाड़ी केन्द्र में सुविधाओं का विकास 4. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 5. बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड/यात्री शेड का निर्माण। 6. सामुदायिक भवन का निर्माण। 7. ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। 8. स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु। 10. सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार। 11. छठ घाट का निर्माण। 12. पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन की चहारदीवारी। 13. पंचायत में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण। 14. ग्राम पंचायत भवनों/ सामुदायिक भवनों में पुस्तकालय का निर्माण (wifi सुविधा के साथ) 15. सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, स्वच्छता, रख–रखाव एवं फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण। 16. स्वच्छता हेतु सार्वजनिक जलोपयोग स्थानों पर सोख्ता का निर्माण। 17. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरूत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 18. छूटे हुए टोलों के लिए ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना। 19. हर खेत को पानी देने के लिए पक्की सिंचाई नालियों का CADA से समन्वय कर निर्माण। 20. जलापूर्ति अनुरक्षकों का प्रशिक्षण। 21. ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार। 22. FSTP Construction/ Faecal Sludge, Treatment Plant (मल अवशेष एवं कीचड़ उपचार संयंत्र) 23. Constructed Wetland Model Manual Material Recovery facility (MRF) 24. पंचायत स्तर पर एक एकड़ तक मछली पालन एवं मखाना की खेती हेतु तालाब का निर्माण। 25. ग्रामीण हाटों में नल–जल जलापूर्ति की व्यवस्था अथवा Mark-4 चापाकल की व्यवस्था। **पंचायत समिति स्तर पर** 1. पंचायत समिति में आधारभूत ढ़ाँचें की वृद्धि। 2. चयनित पंचायत/विद्यालयों में खेल के मैदान/उद्यानों/खुला जिम की व्यवस्था। 3. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 4. पंचायत समिति के हाटों में स्वच्छता एवं जलापूर्ति। 5. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 6. उच्च विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय (Gravity Toilet) का निर्माण। 7. दो पंचायतों के बीच गलियों/सड़कों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 8. प्रखंड स्तरीय लाईब्रेरी का निर्माण। 9. सिंचाई क्षमतावृद्धि हेतु चैक डैम/आहर /पईन का निर्माण। 10. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 11. एक से तीन (01–03) एकड़ के नये जल संग्रहरण क्षेत्रों का निर्माण/जीर्णोद्धार।	ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति /जिला परिषद् क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले आम जनों को।	1. ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा द्वारा पारित की जाती है। (बीस लाख) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा दी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 2. पंचायत समिति स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर पंचायत समिति की बैठक में पारित की जाती है। (तीस लाख) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 3. जिला परिषद् स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद् की बैठक में पारित की जाती है। (एक करोड़) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दी जाती है। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

		12. छठ घाट का निर्माण। 13. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी। 14. सार्वजनिक स्थलों पर चबूतरों का निर्माण। 15. अमृत सरोवर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। 16. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरूत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 17. मछली पालन, मखाना की खेती, तालाबों का सौंदर्यीकरण। 18. ग्रामीण हाटों में पेय जलापूर्ति। 19. पंचायत समिति के हाटों/बाजारों में सुविधाएँ प्रदान करना/निर्माण करना। 20. पंचायत समिति के ग्रामीण हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय। **<u>जिला परिषद्</u>** 1. जिला परिषद्ों की भूमि का सीमांकन/ चहारदीवारी निर्माण। 2. जिला परिषद् अस्पताल में आधारभूत ढ़ाँचा की वृद्धि। 3. जिला परिषद् की सैरातों का विकास। 4. राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित सैरातों का विकास। 5. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड /यात्री शेड का निर्माण। 7. हाट की व्यवस्था। 8. जिला परिषद्ीय सैरातों में नये बाजार सैरात का निर्माण। सैरातों का पुनर्निर्माण सुविधाएँ प्रदान करना। 9. जिला परिषद् के हाटों में स्वच्छता एवं जलापूर्ति। 10. जिला पर्षद की सड़कों का पक्कीकरण। 11. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 12. सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं देखभाल। 13. जिला पर्षद के हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय। 14. सिंचाई क्षमता वृद्धि/हेतु चैक डैम/ आहर/पईन का निर्माण। 15. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग एवं मनरेगा से समन्वय कर)। 16. तीन एकड़ से अधिक जल संग्रहण क्षेत्रों के सार्वजनिक तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार। 17. पक्की–नाली के रास्ते हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु नाला निर्माण (जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 18. छठ घाट का निर्माण। 19. जिला परिषद् को स्थानांतरित पूर्व से बने सरकारी भवनों की मरम्मति। 20. जिला परिषद् की सड़कों का पक्कीकरण। 21. जिला पर्षद के हाटों में स्वच्छ जलापूर्ति।		
2	मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित योजनाएं एवं उनका कार्यान्वयन	ग्रामीण क्षेत्र के बुनीयादी सुविधाओं को मजबूत बनाना एवं पंचायती राज संस्थाओं को बजबूत करना।	आमजनों के सुविधा के लिए।	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
3	चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं एवं क्रियान्वयन	प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सरकारी भवनों का रख–रखाव एवं आधुनिकीकरण एवं मरम्मती किया जाना।	आमजनों के सुविधा के लिए।	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
4	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, नाली–गली से संबंधित परिवाद	ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अंतर्गत गली–नाली के पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 1. ईंट सोलिंग से गली का निर्माण। 2. पेभर ब्लॉक से गली का निर्माण। 3. पी०सी०सी० से गली का निर्माण। ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति योजना का निर्माण वार्ड को एक इकाई मानकर प्रत्येक वार्ड में एक योजना का निर्माण कराया जाता है।	ग्राम पंचायत/ वार्ड क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले आम जनों को।	ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण योजना एवं पेयजल योजना का चयन ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा किया जाता है।
5	13 वीं केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन	**<u>ग्राम पंचायत स्तर पर</u>** 1. सोलर स्ट्रीट लाईट। 2. खेल के मैदान/ उद्यानों खुला जिम की व्यवस्था 3. आँगनबाड़ी केन्द्र में सुविधाओं का विकास 4. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह।	ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति /जिला परिषद् क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले आम जनों को।	1. ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा द्वारा पारित की जाती है। (बीस लाख) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा दी

		5. बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड/यात्री शेड का निर्माण। 6. सामुदायिक भवन का निर्माण। 7. ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। 8. स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु। 10. सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार। 11. छठ घाट का निर्माण। 12. पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन की चहारदीवारी। 13. पंचायत में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण। 14. ग्राम पंचायत भवनों/ सामुदायिक भवनों में पुस्तकालय का निर्माण (wifi सुविधा के साथ) 15. सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, स्वच्छता, रख–रखाव एवं फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण। 16. स्वच्छता हेतु सार्वजनिक जलोपयोग स्थानों पर सोख्ता का निर्माण। 17. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरूत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 18. छूटे हुए टोलों के लिए ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना। 19. हर खेत को पानी देने के लिए पक्की सिंचाई नालियों का CADA से समन्वय कर निर्माण। 20. जलापूर्ति अनुरक्षकों का प्रशिक्षण। 21. ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार। 22. FSTP Construction/ Faecal Sludge, Treatment Plant (मल अवशेष एवं कीचड़ उपचार संयंत्र) 23. Constructed Wetland Model Manual Material Recovery facility (MRF) 24. पंचायत स्तर पर एक एकड़ तक मछली पालन एवं मखाना की खेती हेतु तालाब का निर्माण। 25. ग्रामीण हाटों में नल–जल जलापूर्ति की व्यवस्था अथवा Mark-4 चापाकल की व्यवस्था। **<u>पंचायत समिति स्तर पर</u>** 1. पंचायत समिति में आधारभूत ढ़ाँचें की वृद्धि। 2. चयनित पंचायत/विद्यालयों में खेल के मैदान/उद्यानों/खुला जिम की व्यवस्था। 3. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 4. पंचायत समिति के हाटों में स्वच्छता एवं जलापूर्ति। 5. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 6. उच्च विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय (Gravity Toilet) का निर्माण। 7. दो पंचायतों के बीच गलियों/सड़कों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 8. प्रखंड स्तरीय लाईब्रेरी का निर्माण। 9. सिंचाई क्षमतावृद्धि हेतु चैक डैम/आहर /पईन का निर्माण। 10. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 11. एक से तीन (01–03) एकड़ के नये जल संग्रहरण क्षेत्रों का निर्माण/जीर्णोद्धार। 12. छठ घाट का निर्माण। 13. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी। 14. सार्वजनिक स्थलों पर चबूतरों का निर्माण। 15. अमृत सरोवर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। 16. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरूत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 17. मछली पालन, मखाना की खेती, तालाबों का सौंदर्यीकरण। 18. ग्रामीण हाटों में पेय जलापूर्ति। 19. पंचायत समिति के हाटों/बाजारों में सुविधाएँ प्रदान करना/निर्माण करना। 20. पंचायत समिति के ग्रामीण हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय। **<u>जिला परिषद्</u>**		जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 2. पंचायत समिति स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर पंचायत समिति की बैठक में पारित की जाती है। (तीस लाख) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 3. जिला परिषद् स्तर पर योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद् की बैठक में पारित की जाती है। (एक करोड़) तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के द्वारा दी जाती है तथा तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दी जाती है। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

		1. जिला परिषद्ों की भूमि का सीमांकन/ चहारदीवारी निर्माण। 2. जिला परिषद् अस्पताल में आधारभूत ढ़ाँचा की वृद्धि। 3. जिला परिषद् की सैरातों का विकास। 4. राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित सैरातों का विकास। 5. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड /यात्री शेड का निर्माण। 7. हाट की व्यवस्था। 8. जिला परिषद्ीय सैरातों में नये बाजार सैरात का निर्माण। सैरातों का पुनर्निर्माण सुविधाएँ प्रदान करना। 9. जिला परिषद् के हाटों में स्वच्छता एवं जलापूर्ति। 10. जिला पर्षद की सड़कों का पक्कीकरण। 11. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 12. सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं देखभाल। 13. जिला पर्षद के हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय। 14. सिंचाई क्षमता वृद्धि/हेतु चैक डैम/ आहर/पईन का निर्माण। 15. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग एवं मनरेगा से समन्वय कर)। 16. तीन एकड़ से अधिक जल संग्रहण क्षेत्रों के सार्वजनिक तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार। 17. पक्की–नाली के रास्ते हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु नाला निर्माण (जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 18. छठ घाट का निर्माण। 19. जिला परिषद् को स्थानांतरित पूर्व से बने सरकारी भवनों की मरम्मति। 20. जिला परिषद् की सड़कों का पक्कीकरण। 21. जिला पर्षद के हाटों में स्वच्छ जलापूर्ति।		
6	पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन/सामुदायिक भवन से संबंधित मामले	ग्राम पंचायतों को अपने कार्य संचालन में प्रभावी तथा जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाने, एवं उनके क्रियाकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसे पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है, जो स्थानीय स्वशासन की कल्पना के मूर्तस्वरूप केन्द्र बिन्दु (Integrated Centre for Local Governance) के रूप में देखा और जाना जा सके।	संबंधित पंचायत के आमजनों के सुविधा के लिए।	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी